# उप विकास आयुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, देवघर
## (मनरेगा कोषांग)

### मनरेगा के तहत् संविदा आधारित सेवाएँ प्राप्त करने हेतु आम सूचना

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना ज्ञापांक–4729 दिनांक–04.06.2007 एवं नियुक्ति सेवा शर्त एवं कर्तव्य (संशोधन) नियामावली, 2012 के संकल्प ज्ञापांक 6440, दिनांक 17.07.2012 से निर्गत एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची के पत्रांक 4550, दिनांक 31.05.2016, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, राँची का संकल्प ज्ञापांक (N)848 दिनांक–21.03.2017 एवं मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–650 दिनांक 16.06.2021 के आलोक में देवघर जिला के अधीन मनरेगा अन्तर्गत प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी/तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)/तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)/कम्प्यूटर सहायक/लेखा सहायक की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु पदवार विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है :–

| क्र० | पद का नाम | मासिक परिलब्धि | अनारक्षित | अ०जा० | अ०ज०जा० | अ०पि० वर्ग | पि० वर्ग | कुल | निःशक्तता के अनुमान्य प्रवर्ग (क्षैतिज आरक्षण) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी | 19500/– | 05 | 02 | — | 02 | 01 | 10 | — |
| 2 | तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) | 19234/– | 04 | — | — | 02 | 01 | 07 | — |
| 3 | तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) | 17520/– | 15 | 04 | 02 | 02 | 02 | 25 | 01 |
| 4 | लेखा सहायक | 10000/– | 01 | 01 | 01 | — | — | 03 | — |
| 5 | कम्प्यूटर सहायक | 10000/– | 03 | 01 | — | 02 | 01 | 07 | — |

### (1) प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ।

(i) अनिवार्य योग्यता :–

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण, जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55 प्रतिशत से कम है, परंतु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जाएगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जाएगा।

(ii) अतिरिक्त योग्यता :–

(a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम०बी०ए०/पी०जी०डी०बी०ए०/पी०जी०डी०बी०एम०/ पी०जी०डी०आर०डी०, बी०सी०ए०/बी०एस०सी० कम्प्यूटर/ बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम०सी०ए०/एम०एस०सी० (कम्प्यूटर विज्ञान) अतिरिक्त योग्यताएँ मानी जायेगी। एम०बी०ए० एवं पी०जी०डी०बी०एम० /पी०जी०डी०बी०ए०/पी०जी०डी०आर०डी० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०बी०ए०/पी०जी०डी०बी०एम०/ पी०जी०डी०आर०डी० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर एम०बी०ए० की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर को बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तद्नुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जाएगा।

(b) एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यतायें समझा जायेगा एवं तद्नुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत 5 घटा दिया जायेगा, जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए० या बी०एस०सी० कम्प्यूटर साईंस या बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स के पश्चात पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा।

## (2) तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ।

(i) **अनिवार्य योग्यता :–**

सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0ई0 या बी0टेक अनिवार्य योग्यता होगी।

(ii) **अतिरिक्त योग्यता :–**

(a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम0टेक0 तथा पी0जी0डी0सी0ए0/एम0सी0ए0/ एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।

(b) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यतायें समझा जायेगा एवं तद्नुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

## (3) तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ।

(i) **अनिवार्य योग्यता :–**

सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी।

(ii) **अतिरिक्त योग्यता :–**

(a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0टेक0/बी0ई0,बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्युटर/बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्युटर साईन्स अतिरिक्त योग्यता होगी।

(b) बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्युटर को बी0एस0सी0कम्प्युटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के लिये उनके प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोडा जाएगा।

(c) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्युटर को समान योग्यताऐं समझा जाएगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोडे जायेंगे। पी0जी0डी0एस0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जाएगा।

## (4) लेखा सहायक पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ।

(i) **अनिवार्य योग्यता :–**

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0कॉम ऑनर्स या समान्य बी0कॉम, न्यूनतम 55 प्रतिशम अंक से उतीर्ण । सामान्य बी0कॉम उतीर्ण, जिन्हें 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो, परन्तु जिन्होंने तत्पश्चात एम0कॉम किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे, परन्तु बी0कॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटा कर उसे बी0कॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा।

(ii) **अतिरिक्त योग्यता :–**

(a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0कॉम, बी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0 अतिरिक्त योग्यता होगी।

(b) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्युटर को समान योग्यताऐं समझा जाएगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जाएगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जाएगा।

## (5) कम्प्युटर सहायक पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ।

(i) **अनिवार्य योग्यता :–**

(a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नांकित कोटि के अभ्यर्थी आवेदन दे सकेंगे:–

(1) बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स
(2) बी0एस0सी0 कम्प्युटर सामान्य
(3) बी0सी0ए0
(4) सामान्य स्नातक उतीर्ण के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 उतीर्ण ।

(b) बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्युटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। वैसे सामान्य स्नातक, जिन्होंने तत्पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो, के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटा कर बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा।

(ii) **अतिरिक्त योग्यता :–**

(a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0सी0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्युटर साईन्स अतिरिक्त योग्यता होगी।

(b) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्युटर को समान योग्यताऐं समझा जाएगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोडे जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जाएगा, जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0/सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्युटर के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जाए ।

## उपरोक्त पदों पर संविदा आधारित सेवाऐं प्राप्त करने हेतु अन्य अहर्त्ताएँ निम्नलिखित है :–

1. **राष्ट्रीयता** – आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. **शैक्षणिक योग्यता की मान्यता** – उपरोक्त सभी पदों में वर्णित वांछित शैक्षणिक योग्यताएँ जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त हो वही मान्य होगी।
3. **आयु सीमा** :– 01.09.2021 को सभी वर्गो के लिए न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम निम्न प्रकार होगी :–

| क्रमांक | श्रेणी | अधिकतम आयु सीमा | दिव्यांग जनों के लिए |
|---|---|---|---|
| 1 | अनारक्षित | 35 वर्ष | 40 वर्ष |
| 2 | पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | 37 वर्ष | 47 वर्ष |
| 3 | महिला (अनारक्षित/ पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) | 38 वर्ष | 48 वर्ष |
| 4 | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति | 40 वर्ष | 50 वर्ष |

4. **आरक्षण** :– अनु0जाति/अनु0जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्त आदेशों (देवघर जिला के लिये प्रभावी) के अनुसार निर्धारित की जाएगी। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के संकल्प ज्ञापांक– 2020 दिनांक– 09.04.2010 के आलोक में विकलांग एवं महिलाओं को क्षेतिज आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। राज्य के बाहर के आरक्षित अभ्यर्थियों को आरक्षण की सुविधा नहीं दी जा सकेगी तथा वे अनारक्षित कोटि में परिगणित होंगे।
5. **प्रशिक्षण** :– प्रशिक्षण अवधि एवं स्थल का निर्धारण नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
6. रिक्त पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घट–बढ़ सकता है।
7. तकनीकी ज्ञान हेतु लिखित/दक्षता जाँच/स्किल परीक्षा ली जा सकती है।
8. प्रथम मेघा क्रमांक का निर्धारण अभ्यर्थी के निर्धारित योग्यता में प्राप्तांक प्रतिशत् के औसत अंक के आधार पर किया जायेगा।
9. नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
10. **नियुक्ति हेतु अन्य शर्तें** :–

(i) उल्लेखित सभी पदों पर ली जाने वाली सेवाऐं पूर्णतः संविदा के आधार पर होगी। ऐसे व्यक्तियों को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार को कोई दायित्व नहीं होगा।

(ii) आरम्भिक चरण में ऐसी संविदा आधारित सेवाऐं मात्र एक वर्ष के लिये ली जाएगी तथा कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष के लिये गठित समिति के द्वारा उनके कार्यो की समीक्षा की जाएगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिये संविदा आधारित सेवाओं का नवीकरण किया जा सकेगा।

(iii) संविदा के आधार पर उपरोक्त सेवाऐं नवीकरण नहीं होने पर इस सेवा को स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

(iv) उपरोक्त सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन देवघर जिला के किसी भी प्रखण्ड/पंचायत में करने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(v) यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी, कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेंगे तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी सूचना एक माह पूर्व को देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी के सेवा की आवश्यकता नहीं होने पर वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।

(vi) उपरोक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा किसी एक जिला में आवेदन दिया जा सकेगा तथा उसे आवेदन के साथ यह शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा कि झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पत्र विशेष हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया

है। यदि उनका यह शपथ–पत्र कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा उनके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

(vii) एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन–पत्र समर्पित कर सकेगा।

*नोट :– कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के ज्ञापांक–3198, दिनांक–18.04.2016 के अनरूप निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।*

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक, देवघर।

# मनरेगा अंतर्गत देवघर जिला के लिये संविदा आधारित सेवा प्राप्त करने हेतु

आवेदन–पत्र

| अद्यतन अभिप्रमाणित फोटो |
|---|

**आवेदित पद का नाम :**

1. अभ्यर्थी का नाम :
2. दूरभाष/मोबाईल सं0/ई–मेल आई.डी :
3. आवेदक के पिता/पति का नाम :
4. स्थायी पता

   ग्राम/मोहल्ला .................................. पोस्ट ..................................थाना ..............................

   जिला ............................................ पीन ............................................ :

5. पत्राचार/वर्तमान आवासन का पता (दूरभाष/मोबाईल नं0 सहित):

   ग्राम/मोहल्ला .................................. पोस्ट ..................................थाना ..............................

   जिला ............................................ पीन ............................................

6. जन्म तिथि :
7. दिनांक–.01.09.2021 को उम्र :– वर्ष..............माह..............दिन................
8. लिंग : पुरूष/महिला :
9. कोटि : अ.जा./अ.ज.जा./पि0व0./अ0पि0व0/सामान्य (जो लागू नहीं हो उसे काट दें)
10. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न)

(I) **अनिवार्य योग्यता :**

| क्र0 | परीक्षा उत्तीर्ण | बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम | उत्तीर्ण का वर्ष | उत्तीर्ण का श्रेणी | प्राप्तांक | प्राप्तांक का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मैट्रिक | | | | | |
| 2 | इंटरमीडिएट | | | | | |
| 3 | स्नातक | | | | | |
| 4 | स्नातकोत्तर | | | | | |

(II) **अतिरिक्त योग्यता :**

| क्र0 | अतिरिक्त योग्यता की डिग्री का नाम | सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान का नाम | संस्थान मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं ? | उत्तीर्ण का श्रेणी | प्राप्तांक | प्राप्तांक का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |

11. जाति प्रमाण–पत्र :...................(अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
12. आवासीय प्रमाण–पत्र :............(अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
13. स्व–अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो :.............. (दो अतिरिक्त प्रति संलग्न करें)
14. अन्य अनुभव/योग्यता की विवरणी एवं प्रमाण–पत्र :
15. संलग्न कागजात/दस्तावेजों का विवरण :

*घोषणा :– प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सभी विवरणी सत्य है। असत्य एवं गलत पाये जाने पर स्वयं दण्ड के भागी होंगे।*

स्थान :...........................

दिनांक :...........................

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर